उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN; LUCKNOW - 226001

पत्र सं0: 9191 –मा0सं0प्र0–02/उनिलि/2012–48–मा0सं0प्र0–02/2001 दिनांक : 01- 12-2012

फ़ैक्स (1) मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II),
अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत गृह/
परियोजना नियोजन अनुश्रवण एवं प्रबन्धन इकाई/तापीय परिचालन
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा (सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)/लखनऊ ।

(2) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।

विषय :– *उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों/कर्मचारियों, जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित किये जा चुके है को महंगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01.07.2012 से लागू बढ़ी हुई दर पर किये जाने के सम्बन्ध में।*

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 शासन के वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 द्वारा निर्गत शासनादेश सं0: वे0आ0–1–1105/दस–2012–42(एम)/2008, दिनांक 05.11.2012 के सन्दर्भ में तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के आदेश संख्या 1910–मा0सं0प्र0–(02)/उ0नि0लि0/2012–48–मा0सं0प्र0–(02)/2001, दिनांक 23.08.2012 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन प्राप्त कर रहे उत्पादन निगम के समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2012 से निम्नानुसार संशोधित दर पर महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

तिथि जब से देय है	महंगाई भत्ते की मासिक दर
01 जुलाई, 2012	मूल वेतन का 72 प्रतिशत

2– इस आदेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु "मूल वेतन" का तात्पर्य दिनांक 01.01.06 से लागू पुनरीक्षित वेतन–संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैण्ड में 'वेतन' तथा अनुमन्य 'ग्रेड वेतन' के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन/भत्ता, सीमान्त भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियमों के अन्तर्गत वेतन की परिभाषा में आते हो, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

Manoj Kumar
1/12/12

क्रमशः 2/--

3– निगमादेश सं0: 53/मा0सं0(04)/उनिलि/2009–17–मां0सं0(04)/2003, दिनांक 08.01.2010 मे निहित प्राविधानार्न्तगत चिकित्साधिकारियों को स्वीकृत प्रेक्टिस बंदी भत्ता की धनराशि को मंहगाई भत्ता के आगणन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

4– महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम–9(21) के अन्तर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

5– इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कार्मिकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहें जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्यागपत्र, सेवानिवृत्तिं, मृत्यु या सेवा मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हो, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

6– इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णाकिंत किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को अगले उच्चतर रूपये पर पूर्णाकिंत किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

7– इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते के दिनांक 01 जुलाई, 2012 एवं अग्रेतर भुगतान/ अवशेषों की देयता की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है :–

I- दिनांक 01 जुलाई, 2012 से दिनांक 30 नवम्बर, 2012 तक की मंहगाई भत्ते की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि/अशंदायी भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी, और इस प्रकार जमा धनराशि को सामान्य भविष्य निधि/अशंदायी भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 दिसम्बर, 2012 से जमा माना जायेगा और इसी तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य. निधि/अशंदायी भविष्य निधि खाते पर लागू दर से देय होगा, इस प्रकार सामान्य भविष्य निधि/अशंदायी भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 30 नवम्बर, 2013 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर जिनमें सामान्य/अशंदायी भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अन्तिम प्रत्याहरण **(Final Withdrawal)** देय हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा।

II- यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह उसे नकद दी जायेगी।

III- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें उक्त प्रस्तर–1 में उल्लिखित आदेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जुलाई, 2012 से इस आदेश के निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवा निवृत्त होने वाले हो, उनको देय महंगाई भत्ते की बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

IV- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 दिसम्बर, 2012 से (माह दिसम्बर, 2012 का भुगतान दिनांक 01 जनवरी, 2013 को देय) नकद किया जायेगा।

Manoj Kumar
1/12/12

क्रमशः 3/–

8– निगम के आदेश सं0 सचिव / उनिलि / सी0पी0एफ0ट्रस्ट / 952 दिनांक 02.12.2006 के अनुसार बढ़े हुये महंगाई भत्ते के अवशेषों के भुगतान सम्बन्धी आदेशों के तारतम्य में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 कन्ट्रब्यूटी प्रोविडेण्ट फण्ड ट्रस्ट से आवरित निगमीय कार्मिकों के प्रकरण में यह धनराशि सी0पी0एफ0 खातों में जमा की जायेगी और इस राशि के 10 प्रतिशत समतुल्य नियोक्ता अंशदान के रूप में निगम द्वारा सी0पी0एफ0 मद में दी जायेगी।

9– उक्त आदेशों द्वारा स्वीकृत बढ़ी हुई महंगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु लेखा इकाई द्वारा प्राधिकार पत्र अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

भवदीय,
1/12/12
(मनोज कुमार सक्सेना)
अधीक्षण अभियन्ता(मा0सं0–02)

सं0: 9191 –(1)–मा0सं0प्र0–02 / उनिलि / 2012, तद्‌दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव। ।
(2) निदेशक(कार्मिक) / (तकनीकी) / (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
(3) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
(4) मुख्य अभियन्ता, (मा0सं0) / (मा0सं0–02 / 03) / (कारपोरेट स्ट्रेटजी) / (ईंधन) / (सुरक्षा एवं पर्यावरण) / (जानपद) / (वाणिज्य) / (आर0एण्डएम0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
(5) महाप्रबन्धक (लेखा / सम्प्रेक्षा) / चिकित्सा, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
(6) कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
(7) अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक, मा0सं0–01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / रिफार्म / टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ
(8) अधीक्षण अभियन्ता(प्रशिक्षण), कक्ष सं0: 906, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ को निगम की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु ।
(9) सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
(10) मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
(11) समस्त उप सचिव / अधिशासी अभियन्ता / वरिष्ठ लेखाधिकारी / कार्मिक अधिकारी / लेखाधिकारी(वे0 एवं ले0) / (पेंशन) / अनुसचिव / अनुभाग अधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
(12) कट फाइल ।

आज्ञा से,
1/12/12
(मनोज कुमार सक्सेना)
अधीक्षण अभियन्ता(मा0सं0–02)